फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री भंवरलाल महाजन वगै0 **बनाम** रामचन्द्र बैरवा वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट..................... ....न.35 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.01.2019	प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत कर एकपक्षीय बहस के तौर पर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम कंकोलिया पटवार हल्का कंकोलिया भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 178 के **आराजी सख्यां 41, 42 कुल किता 2 कुल रकबा 04–02 बीघा** आराजीयात जो कि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एकपक्षीय बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में जबरन प्रवेश कर कब्जा करने की नीयत से आये दिन विवाद पैदा करते है, व बेदखली का प्रयास करते है। जिनका कि विपक्षी संख्या 01 को कानूनन हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर जबरन अवैध तौर पर कब्जा कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम कंकोलिया पटवार हल्का कंकोलिया भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 178 के **आराजी सख्यां 41, 42 कुल किता 2 कुल रकबा** [illegible] एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण [illegible] को आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये [illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] समन/नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 28.02.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested

28/2/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी जवाब दिनांक 11/5/19 को पेश हो।

11-5-19
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/5/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

30/5/19
पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप0। पत्रावली मूल वाद के साथ दि0 18/7/19 को पेश हो।

18/7/19 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/8/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested

29/8/19
पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप0। पत्रावली मूल वाद के साथ दि0 15/10/19 को पेश हो।

नम्बर
सहकाम
हुक्म
में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/8/21 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। वादी/प्रतिवादी द्वारा नोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में आगे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप किया जावे।
पत्रावली में वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नोट स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested